

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०)  
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दां०प्र०क०-244 / 16

संस्था०दि० 20 / 05 / 2016

फाईलनं.233504000962016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,

आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

1. राजेन्द्र पिता किशनराव कोसे, उम्र 26 वर्ष,
  2. बन्टी पिता लखन तायवाड़े, उम्र 25 वर्ष,
- दोनों:-पेशा मजदूरी, ग्राम सोनतलाई,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक- 05/10/2016 को घोषित)

01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा-354 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 03/05/16 को समय शाम 7:00 बजे के करीबन या उसके लगभग फरियादिया का मकान, सोनतलाई, थाना आमला, जिला बैतूल म.प्र. सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादिया निशा जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

02— दिनांक 28/09/16 को फरियादी निशा तथा अभियुक्तगण राजेन्द्र, बन्टी का राजीनामा होने से भा०द०वि० की धारा-506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना प्रभारी आमला को एक लिखित आवेदन पेश कर बुरी नियत से छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने बाबत आवेदन पेश किया। दिनांक 03/05/16 के शाम करीब 7 बजे की बात है वह उसके घर के सामने तार पर से सूखे कपड़े निकाल रही थी कि तभी वहां उसके

गांव पडोसी निकाल रहा था कि तभी वहां उसके गांव पडोसी राजेन्द्र कोसे व बन्टी तायवाड़े आये और उसे बुरी नियत से उसकी कमर व हाथ पकड़ लिये और बुरी नियत से छेड़छाड़ करने लगे, शरीर पे हाथ फेरने लगे वह चिल्लाने लगी तो राजेन्द्र व बन्टी धमकी देने लगे चिल्लाये मत नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। उसने आपने आपको जैसे-तैसे बन्टी व राजेन्द्र के हाथ से छुड़ायी और घर के अंदर भाग गयी। राजेन्द्र व बन्टी बोलने लगी अगर ये बात तुने अपने पति को बताई तो उसे व उसके पति को जान से खतम कर देंगे। फिर रात को पति भगवत राव घर आये उन लोगों ने सभी परिवार वालों और रिस्तेदारों की घटना की बात बताई।

04— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र०पी०-2 है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 225/16 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा०दं०वि० की धारा 354,506,34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी का लिखित आवेदन प्र०पी० 1 है। दिनांक 07/05/16 को घटना का नक्शा मौका प्र०पी०-3 बनाया गया, साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

“आपने दिनांक 03/05/16 को समय शाम 7:00 बजे के करीबन या उसके लगभग फरियादिया का मकान, सोनतलाई, थाना आमला, जिला बैतूल म.प्र. सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादिया निशा जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

**—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-**

**—: विचारणीय प्रश्न क्रं. 01 का निराकरण**

07— अभियोजन साक्षी निशा (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय घर के सामने तार से सूखे हुये कपडे निकाल रही थी। तभी वहां आरोपी बंटी और राजेन्द्र आए उनको देखकर वह घर के अंदर भाग गयी, जब वह भाग रही थी तो आरोपीगण ने धमकी दिये थे कि यदि किसी को बतायेगी तो जान से मार देंगे। उस समय घर पर कोई नहीं था। रात में उसके पति घर पर आए तो उसने उन्हें घटना की जानकारी दी। फिर उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में की थी। उसने पुलिस थाना आमला में लिखित आवेदन प्र0प्री0 1 दिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके लिखित शिकायत पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी जो प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने जांच करने मौके पर आई थी महिला मेडम ने मौका नक्शा प्र0पी0 3 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

08— शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी राजेन्द्र एवं बंटी ने बुरी नियत से उसकी कमर एवं हाथ पकड़ लिये थे और बुरी नियत से उसके शरीर पर हाथ फेरकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को लिखित शिकायत प्र0पी0 1 एवं रिपोर्ट प्र0पी0 2 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र0पी0 4 का ए से ए भाग का कथन लेख कराई थी।

09— आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादिया निशा जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 354 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10— अभियोजन साक्षी भगवंतराव (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय बाहर था। वह शाम को वापस आया तो वापस आने पर उसकी पत्नी निशा ने उसे बताया कि उसके साथ राजेन्द्र और बंटी ने छेड़छाड़ की थी एवं धमकी दी थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका कं0 2 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह दोनों

पक्षों के बीच राजीनामा हो गया है। आगे यह भी व्यक्त किया है कि उसे घटना के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया है। यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रकरण में स्वयं फरियादी ने अपने मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में इस गवाह की साक्ष्य से घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं होता है।

11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादिया निशा जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

12— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादिया निशा जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार अभियुक्तगण राजेन्द्र, बन्टी को भा०द०वि० की धारा-35, 34 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— अभियुक्तगण के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०